



दुस्को लिमिटेड TUSCO LIMITED

(टीएचडीसी इण्डिया लि० एवं यूपी नेडा का संयुक्त उपक्रम)
चतुर्थ तल, यूपी नेडा भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.)
4th Floor, U.P. Neda Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010 (U.P.)



No. TUSCO/LKO/CEO/2023-24/76

Date: 05.08.2023

To,
Director (UPNEDA),
UPNEDA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226 010 (U.P.).

Sub.: 800 MW Chitrakoot Solar Power Project - Handing over of Gram Sabha / Govt. land to TUSCO Limited on lease basis - U.P. Solar Energy Policy-2022 reg.

Ref:

- ACS (Energy) Letter no. 1050/87-अति०ऊ०सो०वि०/2023 dated 03.08.2023
- Letter no 3760/भूमि व्यवस्था/2023 dated 19.05.2023
- UPNEDA Letter no. 6989 / यूपीनेडा- एसई-एमएनआरई सोलर पार्क / टीएचडीसी / 146 / 2019 दिनांक 17.03.2023
- G.O. No. 5/2023- प्र०स०-53 / एक-1-2023- रा०-1 दिनांक 15.03.2023

Sir,

With reference to above cited references and G.O. issued by Govt. of U.P. in respect of allotment of Govt land for Solar projects, the methodology for transfer of Gram Sabha/ Govt land has been finalised and issued by Govt of UP vide ACS (Energy), Govt. of U.P. letter dated 03.08.2023.

2. Vide ACS (Energy) letter dated 03.08.2023, the Gram Sabha/Govt. land coming under the solar project area will be handed over to Solar Power Park Developer (SPPD) on lease basis @Rs 1.0 per acre per year on "First Come First Served" basis after approval of a High level committee chaired by ACS (Energy), Govt. of U.P.

3. In this context, it is to inform that TUSCO Ltd is implementing 800 MW Solar power project in distt. Chitrakoot. As on 31st July 31.07.2023, a total 1191 acre (30%) of private land has been acquired on lease basis from farmers., whereas the identified Gram Sabha / Govt. land for 800 MW Chitrakoot Solar Power Park Project is 955 acre, which is also duly verified by Distt. Magistrate, Chitrakoot (copy enclosed).

4. TUSCO Ltd. has also deposited Rs. 955.00 (955 acre @ Rs. 1.00 per acre) in the bank account – NEDA Lease Rent Account of UP NEDA on 05.08.2023 (copy enclosed).

5. It is requested to kindly arrange to convene a meeting of the designated high level committee, so that the above Gram Sabha / Govt. land falling in the Solar project boundary of Chitrakoot Solar Power Project could be approved by the committee for handing over by way of lease deed signing with TUSCO Limited for the solar project.

S.L.

11/8/2023

Central



सूचना का
अधिकार

प्रधान कार्यालय: दुस्को लिमिटेड, चतुर्थ तल, यूपी नेडा भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ.प्र.), फोन नं० : 0522-4047922
Corporate Office : 4th Floor, UP NEDA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010 (UP), Ph. : 0522 - 4047922
('हिन्दी को राजभाषा बनाना, भाषा का प्रश्न नहीं अपितु देशाभिमान का प्रश्न है')

6. In this context, following documents are being submitted for kind perusal :

1. Details of village wise & Gata wise Gram Sabha / Govt. land of 800 MW Chitrakoot Solar Power Park Project.
2. Draft Detailed Project Report (DPR) of Chitrakoot Solar Power Park is enclosed - Final DPR is to be submitted in Aug. / Sept 2023.
3. Project Map (indicating Govt as well as private land).

Thanking you,

Your faithfully



05.8.2023
(Manoj Sardana)
CEO

Encl: As above

CC:

1. ED (Tech.), THDCIL, Rishikesh.
2. AGM (Solar), TUSCO Ltd., Chitrakoot.
3. SPO (Sh. Narendra Singh), UPNEDA, Lucknow
4. DGM (Finance), TUDSCO Ltd.
5. Sr. Engineer (Solar), TUSCO Ltd., Lucknow

सं. 2311 / यूपीनेडा-एसई / 800 मे.वा.चित्रकूट / टुस्को लि0 / सरकारी भूमि लीज / 2023
ई-मेल / स्पीड पोस्ट
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनांक: 12/8/2023

प्रेषक,

निदेशक,
यूपीनेडा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद चित्रकूट।

विषय: टुस्को लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क हेतु चिन्हांकित ग्रामसभा / सरकारी भूमि को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के पक्ष में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 3760 / भूमि व्यवस्था / 2023 दिनांक 19 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा टुस्को लि0 द्वारा 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क हेतु जनपद चित्रकूट के तहसील-मऊ के 10 राजस्व ग्रामों में चिन्हांकित कुल सरकारी भूमि 955.30 एकड़ को लीज पर उपलब्ध कराने हेतु लीज रेंट की धनराशि जमा कराने हेतु सूचित किया है।

उक्त के क्रम में सूचनीय है कि राजस्व अनुभाग द्वारा शासनादेश संख्या 5 / 2023 / प्र0स0-53 / एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 (प्रति सलंगन) निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि "उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 से आच्छादित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-77 (1) की भूमियों को छोड़कर धारा-59 की उपधारा-2 के खण्ड-(एक), (तीन) तथा (चार) की भूमि को 1 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिये पट्टे पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने स्तर से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उपलब्ध कराया जायेगा"

तत्क्रम में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1050 / 87-अति0ऊ0स्रो0वि0 / 2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 (प्रति सलंगन) द्वारा सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए निवेशकों को सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये है।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये निजी क्षेत्र के निवेशकों को रु. 15000 / - प्रति एकड़ / प्रतिवर्ष के लीज रेंट पर तथा सार्वजनिक उपक्रमों हेतु रु0 1.00 प्रति एकड़ / प्रतिवर्ष के सांकेतिक मूल्य पर लीज पर 30 वर्षों के लिए भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 08 के अनुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पास जो भूमि उपलब्ध होगी उसे प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर लीज पर दिये जाने के लिए प्रस्तावित की जायेगी। निवेशक द्वारा एक महीने के अन्दर अपनी फाइनेन्शियल नेटवर्थ, डीपीआर, बैकवर्ड एण्ड फारवर्ड लिंकेज तथा अन्य सुसंगत विवरण यूपीनेडा के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद ही उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत लीज डीड निष्पादित की जा सकेगी।

शासनादेश के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार निवेशक द्वारा वार्षिक लीज रेंट नियमित रूप से अग्रिम के रूप में यूपीनेडा में जमा किया जायेगा।


शासनादेश के बिन्दु संख्या 14 के अनुसार निवेशक से प्राप्त होने वाले वार्षिक लीज रेंट को यूपीनेडा द्वारा सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा इस हेतु सभी भूमि का अलग-अलग लेखा बनाकर सुरक्षित रखा जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में टुस्को लि० द्वारा अपने पत्र संख्या टुस्को/एलकेओ/सीईओ /2023-24/76 दिनांक 05.08.2023 से 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क हेतु सरकारी भूमि 955.30 एकड़ लीज पर उपलब्ध कराये जाने हेतु लीज रेंट की धनराशि रु. 955.00 यूपीनेडा के खाते में जमा किया गया है, जिसको यूपीनेडा द्वारा लीज रेंट की वार्षिक धनराशि रु. 955.00 (रूपये नौ सौ पचपन मात्र) को राजकोष लेखाशीर्षक "0029-भूराजस्व- 800-अन्य प्राप्तियां-08-मालकाना-राजस्व-0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां" में जमा किया गया है (चालान की प्रति सलंगन है।)

अस्तु उपरोक्त के दृष्टिव्य आपसे अनुरोध है कि जनपद चित्रकूट तहसील -मऊ में 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर पार्क की स्थापना हेतु सरकारी भूमि 955.30 एकड़ को टुस्को लि० को लीज पर दिये जाने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलंगनकः-यथोक्त।


भवदीय,



(अनुराग शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।

- प्रतिलिपि:-1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, टुस्को लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. परियोजना अधिकारी, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अनुराग शुक्ला)
निदेशक, यूपीनेडा।



वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2
 प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
 (प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

कोषागार प्रपत्र-209 (1)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम :
- पता :
- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या : (यदि आवश्यक हो)
- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण : (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
- चालान की सकल राशि :
- चालान की निबल राशि :
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :
- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड :

आलखेट कोषागार, लखनऊ
 निदेशक
 उत्तर प्रदेश नवीन एवं
 नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
 लखनऊ
800 मेवालाद जनपद चिन्मय
कोषागार का हेतु लोन हेतु
वार्षिक जनशक्ति जमा हेतु

रु० 955 = 00
 १००२९-आलखेट-८००-अ-य-आ-दि
 -०८-आलखेट-आलखेट-०८०६-
 उच्चतर अधिकारी

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्योरेवार-शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0029	00	800	08	0806	955-00
					योग
					955.00

धनराशि (शब्दों में) रु० नौ सौ पचास मात्र

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
 विभागीय अधिकारी व हस्ताक्षर मुहर सहित
 वित्त एवं लेखाधिकारी

जमाकर्ता का नाम निदेशक
 उत्तर प्रदेश नवीन एवं
 नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
 लखनऊ

चालान संख्या : 11650062 केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

अंको में रु०	STATE BANK OF INDIA
शब्दों में रु०	TISH SHUKLA PF-5603803
	11650062
TRANSFER	
G. B. Br. 07806, Lucknow	

दिनांक :

प्राप्त किया
 प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
 बैंक की मुहर सहित

18